...लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस.

90/2024

अर्जुनराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 पूर्णनाथ पुत्र देरामनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
2 मोहननाथ पुत्र देरामनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
3 रामूनाथ पुत्र देरामनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
4 हड़माननाथ पुत्र देरामनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
5 बबीता पुत्री देरामनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
6 अमरी पुत्री देरामनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
7 उदाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
8 ईमा पुत्री मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
9 गणपतराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
10 तुलछा पुत्री मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
11 पदमाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
12 रेवन्ती पुत्री मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
13 श्रवणराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू
14 पार्वती पत्नि गिरधारीनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
15 तुलछानाथ पुत्र गिरधारीनाथ जाति सिद्ध निवासी पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
16 मीरा पुत्री गिरधारीनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
17 सन्तोष पुत्र गिरधारीनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
18 जमना पुत्री गिरधारीनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
19 तोलनाथ पुत्र रूघनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
20 बिशननाथ पुत्र रूघनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
21 हनुमाननाथ खो. पुत्र समरनाथ जाति सिद्ध निवासी पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
22 रामप्रताप पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
23 रामकुमार पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू
24 शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुजानगढ़ तह. बीदासर चूरू
25 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय बीदासर जिला चूरू
26 उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम</u>

उपस्थित :– मोहम्मद आमीन शेख एडवोकेट वादी

एक पक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी सख्या 1 ता 24, 26

पैरोकार राज. प्रतिवादी स. 25

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, (चूरू)

निर्णय

दिनांक :–27/3/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 23 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खाता नम्बर 64 खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 6.0703 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 5.4127 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 5.8173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 5.5644 हैक्टेयर (22–00 बीघा) कुल खसरे 4 कुल रकबा 22.8647 हैक्टेयर वाके रोही पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 23 का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है तथा वादगत खेतों को भी अलग अलग ही काश्त करते आ रहे है वादगत खेत खसराजात की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है जिसके कारण वादी को कई प्रकार की कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 23 सींवों को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है जिसके कारण वादी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के खेतो में अपने हिस्सा भूमि की खातेदारी का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी अधिकारी है वादी वादगत खेतों में अपना हिस्सा 189/1808 हिस्सा यानि कुल रकबा 22.8647 हैक्टेयर का 2.39017 हैक्टेयर (09–09 बीघा) उपयोग उपभोग ले रहा है तथा वादी का वादगत भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है वादगत भूमि सम्पति में वादी अर्जूनराम का 189/1808 हिस्सा यानि कुल रकबा 22.8647 हैक्टेयर का 2.39017 हैक्टेयर (09–09 बीघा) हिस्सा है जो जुबानी बन्टवारा एवं कब्जा काश्त अनुसार खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 5.5644 हैक्टेयर (22–00 बीघा) की अगूणी पाखी में उतरी सींव से दक्षिणी सींव तक कब्जा काश्त में है जिसके वादी की पुख्ता पक्की सीवं कायम है वादगत खसराजात में वादी एवं प्रतिवादीगण की अपने अपने हिस्सा पांती अनुसार पुख्ता पक्की सींवे कातले, तारबन्दी की हुई है वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 23 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेतों की खातेदारी का मिन्ट् एण्ड बाउण्डस् के विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 23 वादगत खेतों की सींव को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेतो में हम जहां चाहे कब्जा करेगे, अच्छी भूमि पर कब्जा कर अजनबी व्यक्तियों को बेच देगे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 23 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है वादी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 30–11–2024 को निवेदन किया कि वादगत खेतों की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ वादी के हिस्सा पांती की भूमि में दखल अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 23 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेतों में जहां चाहे कब्जा करके पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेतों का जब तक विधिवत विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, (चूरू)

जाता है जब तब प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेतो का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 एक ता 23 तेईस पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू–माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में वादी असमर्थ है। इसलिए वादी के लिएआवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेत का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेतों के किसी भी हिस्से या अंश को विकय, बन्धक, हस्तान्तरण, बैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हक हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना वादी को उसके हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बैदखल करें। वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी की होने एवं वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के आधार पर वादी को **सतत वादाधार** प्राप्त है तथा प्रतिवादीगण द्वारा 30–11–2024 को ऐलानिया धमकी देने व विभाजन करने से साफ इन्कार होने पर वादी को वाद हैतुक प्राप्त है। राजस्व वाद वादी बहक प्रतिवादीगण के मध्य नीजि सम्पति का होने एवं राज्य हित के विपरीत न होने एवं राज्य हित निहित न होने के बावजूद भी भू धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर को पक्षकार संयोजित किया गया है। दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने के कारण राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रस्तुत दावे में दो माह का पूर्व नोटिस देने से छूट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी. पी. सी. का प्रस्तुत किया जाकर दावा श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ती का है तथा वादगत खेत वाके रोही पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय को हर प्रकार से प्राप्त है आदि आदि प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वादगत खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 6.0703 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 5.4127 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 5.8173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 5.5644 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 22. 8647 हैक्टेयर वाके रोही पारेवड़ा तहसील बीदासर में वादी एवं प्रतिवादीगण का पांती अनुसार के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी के हिस्सा भूमि जो मुताबिक हिस्सा पांती 09–09 बीघा खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 5.5644 हैक्टेयर (22–00 बीघा) की अगूणी पाखी की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पृथक पृथक दर्ज की जाकर लगान का विभाजन किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा की डिकी से वर्जित किया जावें की वादगत खेतों का विधिवत रूप से जब तक विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेतो के किसी भी हिस्से या अंश को विकय, हस्तान्तरण, रहन, बैय आदि नहीं करें और ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी देवे और न ही वादी को उनके हिस्से पांती की भूमि से जबरन बैदखल करें।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

... ही प्रतिवादीगण कोई ऐसा तर्क या तर्क फैल स्वयं करें या अपने एजेन्ट से करवाये जिससे वादी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। प्रतिवादी सख्या 25 को आदेश फरमाया जावे की वोह मुताबिक न्यायालय निर्णय एवं डिक्री के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।अन्य अनुतोश जो हितकर वादी को दिलवाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 24, 26 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं होने के कारण जवाबदेही बन्द की गई। वादी की और से अपनी साक्ष्य में गवाह पी. डब्ल्यू–1 वादी अर्जुनराम ने सशपथ बयान प्रस्तुत कर बयान लेखबद्ध करवाये। वादी ने अपने वाद में समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श–1 प्रदर्शित कराया। प्रतिवादीगण ने खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई। प्रतिवादी सख्या 25 पैरोकार राज ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

बहस उभय पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के खण्डन में कोई जवाब दावा नहीं आया है इसलिए वादी का वाद बाबत विभाजन स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 6.0703 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 5.4127 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 5.8173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 5.5644 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 22.8647 हैक्टेयर वाके रोही पारेवड़ा तहसील बीदासर में वादी एवं प्रतिवादीगण का पांती अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के हिस्सा भूमि जो मुताबिक हिस्सा पांती 09–09 बीघा खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 5.5644 हैक्टेयर (22–00 बीघा) की अगूणी पाखी की है का प्रतिवादी सख्या 24 बैंक का हित सुरक्षित रखते हूए खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। प्रारम्भिक डिक्री जारी होकर विभाजन प्रस्ताव हेतू तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे साथ ही तहसीलदार बीदासर विभाजन किये जा रहे खेत की वर्तमान जमाबन्दी विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/3/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर चूरू

प्रारम्भिक डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

{Civil Procedure code, Appendix "D-1"}

अज अदालत ...श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम........बीदासर जिला चूरू

................व इजलास..............पीठासीन अधिकारी........... श्री अमीलाल यादव R.A.S.

अर्जुनराम बनाम पूर्णनाथ आदि

दावा बाबत विभाजन मुकदमा नम्बर.....50 /24

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू ब रू ....हाजरी .... श्री मोहम्मद आमीन शेख एडवोकेट मिनजानिब मुदई व .....पैरोकार राज मिन जानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 6.0703 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 5.4127 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 5.8173 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 5.5644 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 22.8647 हैक्टेयर वाके रोही पारेवड़ा तहसील बीदासर में वादी एवं प्रतिवादीगण का पांती अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के हिस्सा भूमि जो मुताबिक हिस्सा पांती 09–09 बीघा खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 5.5644 हैक्टेयर (22–00 बीघा) की अगूणी पाखी की है का प्रतिवादी सख्या 24 बैंक का हित सुरक्षित रखते हूए खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

....खर्चा इस मुकदमें के फीस .... मुबलिग.....................................बाबत ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख मय सूद व शरह ....

वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27......माह.03.......वर्ष 25

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

दस्तख्त................

ओहदा.....................

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो हर फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, अर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)